

परिशिष्ट 1.1

राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)			
ए. सामान्य आँकड़े			
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		1483 वर्ग किमी.
2	जनसंख्या		
	ए.	2001 की जनगणना के अनुसार	₹ 1.39 करोड़
	बी.	2011 की जनगणना के अनुसार	₹ 1.68 करोड़
3.	ए.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	बी.	जनसंख्या घनत्व (2011 के अनुसार) (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 21.92* प्रतिशत)		9.91** प्रतिशत
5.	ए.	साक्षरता(2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	81.67 प्रतिशत
	बी.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 प्रतिशत)	86.34 प्रतिशत
6.	बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत*** =40 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)		23.94**
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत =65.8 वर्ष)		उ.न.
8.	गिनी गुणांक****		
	ए.	ग्रामीण, (अखिल भारतीय = 0.29)	0.26
	बी.	शहरी, (अखिल भारतीय = 0.38)	0.33
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2013-2014 वर्तमान मूल्य पर		₹ 404575.65 करोड़**
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध. (2004-05 से 2013-14 तक)		
	दिल्ली		
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध***** (2004-05 से 2013-2014 तक)		
	दिल्ली		16.76 प्रतिशत
	सामान्य वर्ग के राज्य		15.49
	बी	वित्तीय आंकड़े	
क्र.सं.	विवरण	आँकड़े (प्रतिशत में)	
1	मि.वा.वृ.द्ध	2004-05 से 2012-13	2004-05 से 2013-14
		सामान्य श्रेणी राज्य†	दिल्ली
	ए.	राजस्व प्राप्ति	16.93
	बी.	स्वयं का कर राजस्व	15.46
	सी.	गैर कर राजस्व	(-) 3.65
	डी.	कुल व्यय	15.37
	ई.	पूंजीगत व्यय	17.01
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.44
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.50
			15.90

सामान्य आँकड़ों के स्रोत:

* प्रेस नोट जुलाई 2013 योजना आयोग तेंदुलकर प्रविधि से बीपीएल 2011-12

** आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

***नवजात शिशु-मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन सितंबर 2011),

****गिनी-गुणांक (2009-10 के लिए योजना आयोग के आँकड़ें),

***** मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर

वित्तीय आँकड़ें राज्य सरकारों के वित्तीय लेखों पर आधारित हैं।

+ गोवा, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर।

गिनी-गुणांक जनसंख्या में आय असमानता का एक मानक है। मूल्य दर शून्य से एक है, जहाँ शून्य का संदर्भ पूर्ण समानता से है और एक का संदर्भ पूर्ण असमानता है।

परिशिष्ट 1.2 (पैराग्राफ 1.1 को देखें) पार्ट ए: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	
<p>सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं- (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे</p> <p>भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।</p> <p>भाग II: आकस्मिक निधि: राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रूप में रखी जाती है जिससे वे अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जबकि राशि की प्रतिपूर्ति आकस्मिक निधि के अग्रिमों से की जाती है।</p> <p>भाग III: लोक लेखा: कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेपों, उचंतों, प्रेषणों इत्यादि के संबंध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जोकि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, को संविधान की धारा 266(2) के अंतर्गत निर्मित लोक लेखे में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका में चर्चा नहीं की जाती है।</p>	
पार्ट बी: वित्तीय लेखों की स्थिति	
विवरणी	स्थिति
विवरणी सं.1	राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि
विवरणी सं.2	वर्ष की समाप्ति पर प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरणी सं.3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित हैं।
विवरणी सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किए गये पुनर्भुगतान और बकाया में वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरणी सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरणी सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरणी सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरणी सं.8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण
विवरणी सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेख
विवरणी सं.10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्ष के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय के लेखे
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान तथा समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूँजीगत व्यय
विवरणी सं.12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरणी सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों के अलावा) अन्य व्यय तथा पूँजीगत व्यय और प्रमुख स्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थीं।
विवरणी सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरणी सं.15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरणी सं.16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय संचय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी गई

शर्तों की परिभाषा नीचे दी गई है :

पद	गणना का आधार
एक पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में एक पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएँ)2]*100
ब्याज का विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा का विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज का विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	ब्याज प्राप्ति [(प्रारम्भिक शेष+ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)	राजस्व प्राप्ति घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048 - ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत स्पर्चों को सम्मिलित न करते हुए

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पार्ट ए - राजस्व					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	20451.34	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69
(i) कर राजस्व	13447.86	16477.75	19971.67	23431.52	25918.69
कृषि आय पर कर					
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	10126.01	12068.62	13750.95	15803.69	17925.71
राज्य उत्पाद शुल्क	1643.56	2027.09	2533.72	2869.74	3151.63
वाहनों पर शुल्क	462.65	707.55	1049.19	1240.18	1409.28
स्टॉम्प व पंजीकरण शुल्क	929.97	1355.75	2240.25	3098.06	2969.07
भूमि राजस्व	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	285.64	318.71	397.54	419.84	463.00
(ii) गैर कर राजस्व	3467.40	4188.95	460.87	626.93	659.14
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	3536.08	4357.40	1960.64	1502.52	1402.86
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ					
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूली	318.15	436.77	376.25	724.90	802.92
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	20769.49	25460.87	22769.42	26285.87	28783.60
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	1769.00	4388.94	556.08	922.41	4162.89
आंतरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1769.00	4388.94	556.08	922.41	4162.89
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	22538.49	29849.81	23325.50	27208.28	32946.49
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. सार्वजनिक स्वाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	22538.49	29849.81	23325.50	27208.28	32946.49
पार्ट बी. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	13900.88	14381.74	17964.86	20659.36	22366.52
योजनागत	4742.76	4891.59	6440.86	6498.72	7462.28
गैर योजनागत	9158.12	9490.15	11524.00	14160.64	14904.24
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	3629.67	3728.95	4347.23	5738.57	5597.48

सामाजिक सेवाएँ	8103.58	8718.80	10717.11	11737.43	12314.54
आर्थिक सेवाएँ	1650.28	1392.46	2172.22	2350.82	3650.01
सहायता अनुदान और योगदान	517.35	541.53	728.29	832.53	804.50
11. पूंजीगत व्यय	4717.27	3984.80	4004.27	4176.63	4707.42
योजनागत	4713.62	3981.32	3999.96	4171.74	4702.93
गैर योजनागत	3.65	3.48	4.31	4.90	4.49
सामान्य सेवाएँ	356.13	264.55	188.82	196.88	265.48
सामाजिक सेवाएँ	636.94	536.74	578.23	1100.95	1542.54
आर्थिक सेवाएँ	3724.20	3183.51	3237.22	2878.81	2899.41
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	5701.30	6364.73	3345.42	3734.83	5652.37
13. कुल (10+11+12)	24319.45	24731.27	25314.55	28570.82	32726.31
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	606.47	793.06	1087.88	1287.99	1325.29
आंतरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	606.47	793.06	1087.88	1287.99	1325.29
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	24925.92	25524.32	26402.42	29858.81	34051.60
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	24925.92	25524.32	26402.42	29858.81	34051.60
पार्ट सी. घाटा					
20. राजस्व में घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)6550.46	(+) 10642.36	(+)4428.31	(+) 4901.61	(+)5614.17
21. राजकोषीय घाटा(-)/ राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)3549.96	(+) 729.60	(-) 2545.20	(-)2284.95	(-)3942.71
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)1077.03	(+) 3309.12	(+)372.06	(+)577.93	(-)1118.42
पार्ट डी. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2472.93	2579.52	2917.26	2862.88	2824.29
24. स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	9988.68	-	-	-	-
25. पूर्वोपाय अग्रिम/उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)				-	-
उपयोग किए गए अग्रिम पूर्वापाय (दिन)	-	-	-	-	-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)					
26. पूर्वोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज					
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	217618.58	252752.79	296956.88	348221.16	404575.65
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ	26544.20	30140.09	29608.29	29242.71	32080.32

29. बकाया गारण्टियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
पार्ट ई. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन गतिशीलता					
निजी कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	6.18	6.52	6.73	6.73	6.41
निजी गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	1.59	1.66	0.16	0.18	0.16
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	11.18	9.78	8.52	8.20	8.09
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	118.92	98.83	113.05	111.78	116.96
राजस्व व्यय/कुल व्यय	57.16	58.15	70.97	72.31	68.34
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	42.54	43.41	51.88	50.23	46.60
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	30.52	27.88	27.48	22.58	32.26
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	19.40	16.11	15.82	14.62	14.38
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	17.93	15.04	15.07	13.93	13.57
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	(+) 3.01	(+) 4.21	(+)1.49	(+) 1.41	(+) 1.39
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ.	(-) 1.63	(+) 0.29	(-) 0.86	(-) 0.66	(-)0.97
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ स.रा.घ.उ.	(-) 0.49	(+) 1.31	(+) 0.13	(+) 0.17	(-)0.28
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएँ/ स.रा.घ.उ.	12.20	11.92	9.97	8.40	7.93
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	129.79	120.44	132.22	114.40	114.65
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 68.00	(+) 123.67	(+) 13.61	(+) 24.49	(-)54.87
ऋण मुक्ति (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ					
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर वापसी	0.38	0.37	0.23	0.16	0.07
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	9670.26	13515.26	9887.38	10231.39	12000.50
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	95.22	90.94	94.79	97.88	99.14

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करते हैं

@ सरकार द्वारा सूचित स.रा.घ.उ. आंकड़े अपनाए गए हैं।

परिशिष्ट 1.4
(पैराग्राफ 1.5 को देखें)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ

	2009-10	2010-11(आर)	2011-12(पी)	2012-13(क्यू)	2013-14(ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	217618.58	252752.79	296956.88	348221.16	404575.65
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.82	16.14	17.49	17.26	16.18

स्रोत: आर्थिक एवं सांस्थिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
(आर)- संशोधित, (पी)- अंतरिम, (क्यू)- तत्काल आकलन, (ए)- अग्रिम आकलन

परिशिष्ट 1.5

पार्ट ए : वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार

(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड क : राजस्व			संवितरण				
प्राप्ति			संवितरण				
2012-13		2013-14	2012-13		2013-14		
					गैर योजनागत	योजनागत	कुल
25560.97	I. राजस्व प्राप्ति	27980.69	20659.36	I. राजस्व व्यय	14904.24	7462.28	22366.52
23431.52	कर राजस्व	25918.69	5738.57	सामान्य सेवाएं	5445.57	151.91	5597.48
			11737.43	सामाजिक सेवाएं	5999.01	6315.53	12314.54
626.93	-गैर-कर राजस्व	659.14	5092.80	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	4115.51	1539.19	5654.70
			2508.33	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1355.54	1269.05	2624.59
-	-संघीय करों में राज्यों का अंश	-	2380.88	-जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	258.20	1804.51	2062.71
			14.04	-सूचना एवं प्रसारण	28.54	0	28.54
333.57	-गैर-योजनागत अनुदान	326.91	205.41	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13.59	218.35	231.94
919.73	-राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	717.81	80.38	-श्रम एवं श्रमिक कल्याण	79.24	12.89	92.13
			1448.13	-समाज कल्याण एवं पोषण	140.56	1471.53	1612.09
249.21	-केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान	358.14	7.46	-अन्य	7.82	0	7.82
			2350.82	आर्थिक सेवाएं-	2655.17	994.84	3650.01
			78.42	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	76.62	10.25	86.87
			8.14	-ग्रामीण विकास	7.21	1.92	9.13
				-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
			108.51	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	112.20	0.29	112.49
			691.38	-ऊर्जा	1064.93	4.41	1069.34
			27.14	-उद्योग एवं स्वनिज	9.38	21.09	30.47
			1219.78	-परिवहन	1273.85	796.78	2070.63
			32.39	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.26	20.17	21.43
			185.06	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	109.72	139.93	249.65
			832.53	सहायता अनुदान एवं योगदान	804.50	-	804.50
			20659.36	कुल	14904.24	7462.28	22366.52
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना			II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना	-	-	5614.17
25560.96	कुल	27980.69		कुल			27980.69

खण्ड-ब : पूँजीगत एवं अन्य							
7713.20	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित प्रारंभिक नकद शेष	4636.28		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट			
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			IV. पूँजीगत रूपरेखा			
			196.88	सामान्य सेवाएं-	0	265.48	265.48
			1100.95	सामाजिक सेवाएं-	0	1542.54	1542.54
			377.94	-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	0	514.40	514.40
			225.82	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	352.55	352.55
			400.58	-जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	0	559.98	559.98
			-	-सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			37.73	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	46.61	46.61
	खण्ड-ब:अन्य (निष्कर्ष)						
			29.54	-समाज कल्याण एवं पोषण	0	36.04	36.04
			29.35	-अन्य	0	32.96	32.96
			2878.81	आर्थिक सेवाएं-	4.50	2894.91	2899.41
			25.03	-कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	0	14.60	14.60
			206.25	-ग्रामीण विकास	0	175.04	175.04
			-	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			78.22	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.50	69.71	74.21
			556.39	-ऊर्जा	0	21.34	21.34
			50.39	-उद्योग एवं स्वनिज	0	50.00	50.00
			1961.14	-परिवहन	0	2561.28	2561.28
			0.47	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0	0.49	0.49
			0.92	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	2.45	2.45
			4176.63	कुल	4.50	4702.93	4707.43
724.90	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	802.91	3734.83	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-	-	-	5652.37
172.95	- पॉवर परियोजनाओं से		700.00	- पॉवर परियोजनाओं के लिए	-	-	3628.39
2.10	-सरकारी सेवकों से		0.79	-सरकारी सेवकों को	-	-	0.74
549.85	-अन्यों से		3034.04	-अन्यों का	-	-	2023.24
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			VI. राजस्व घाटा कम किया गया			
			1287.99	VII. लोक ऋण की पुनः अदायगी	-	-	1325.29
922.41	VII. लोक ऋण प्राप्ति-	4162.89		-बाह्य ऋण	-	-	-
	- बाह्य ऋण		-	-पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-
	-पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण		-	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-
	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन		1287.99	-केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	-	-	1325.29

	-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-		VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन			-
922.41	-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4162.89		IX. आकस्मिक निधि से व्यय			-
	आकस्मिक निधि में विनियोजन	-		X. लोक खाता संवितरण			-
	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ			-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ	-		-आरक्षित निधियाँ			-
	-लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-		-उच्चत एवं विविध			-
	-आरक्षित निधियाँ	-		-प्रेषण			-
	-उच्चत एवं विविध	-		-जमा एवं अग्रिम			-
	-प्रेषण	-	1985.75	XI अंत में नकद शेष-			880.65
	-जमा एवं अग्रिम	-		-स्वजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण			-
	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-		-रिजर्व बैंक में जमा			-
		-		-स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष			-
		-		-नकद शेष निवेश			-
31844.56	कुल	34932.25	31844.56	कुल	-	-	34932.25

परिशिष्ट 1.5 (जारी)
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

पार्ट बी			
31 मार्च 2014 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2013 को	देयताएँ		31-03-2014 को
29242.71	केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम		32080.32
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
29242.70	गैर-योजनागत ऋण		32080.30
-	राज्य योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	-
0.01	केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं के लिए ऋण	-	0.01
-	केन्द्र प्रायोजित योजनागत परियोजनाओं हेतु ऋण	-	-
59401.53	राजस्व अधिशेष		65015.70
1587.95	सी जी ए से 1994-95 के दौरान स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष		1587.95
3356.46	1994-95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष		3356.46
93588.65	कुल		102040.43
	परिसम्पत्तियाँ		
40715.08	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		45422.50
16388.15	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश		17060.35
24326.93	अन्य पूंजीगत परिव्यय		28362.15
50887.82	ऋण और अग्रिम		55737.28
6566.45	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण		10157.55
29564.40	अन्य विकास ऋण		30595.59
14756.97	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण		14984.14
1985.75	संघ सरकार के नकद शेष में विलयित नकद शेष		880.65
93588.65	कुल		102040.43

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चूंकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमियाँ, जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखों में संपत्ति आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा मूल्यहास या स्टॉक आँकड़ों में परिवर्तन जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च 2013 तथा 31 मार्च 2014 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 40,715.08 करोड़ तथा ₹ 45,422.50 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से प्राप्त किए गए थे। इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014 के लिए क्रमशः ₹ 50,887.82 करोड़ तथा ₹ 55,737.28 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे परन्तु इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले आँकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट 2.1

₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची

(पैराग्राफ 2.3.1. को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत	बचतों के कारण
	राजस्व-दत्तमत							
	अनुदान सं. 3- न्याय का प्रशासन							
1	2202 ए.1(2)(5)- सरकारी सेक्रेटरी विद्यालय	1059.15	0.00	1059.15	958.06	101.09	9.54	पदों एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा बिलों का गैर समाशोधन
2	2202 ए.1(2)(8)(1)- अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाएँ	1867.14	40.00	1907.14	1785.42	121.72	6.38	पदों, कम दावों की प्राप्ति, भंडार मदों की कम खरीद, एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा बिलों का गैर- समाशोधन
	अनुदान सं. 07- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य							
3	2210 ए.1(1)(4)(6)- दिल्ली राज्य कैसर संस्थान को सहायता अनुदान	110.00	0.00	110.00	27.50	82.50	75.00	अनुदान का द्विभाजन
4	2210 ओ.1(1)(1)- राजीव गाँधी सुपर स्पेशैलिटी अस्पताल	150.00	0.00	150.00	6.88	143.12	95.41	अस्पताल का अनुदानग्राही संस्थान में परिवर्तन
	अनुदान सं. 9- उद्योग							
5	3456 डी.1(4)(7)- ई.डब्ल्यू.एस. के लिए अन्नश्री योजना	135.00	0.00	135.00	64.73	70.27	52.05	उपयुक्त, लाभार्थियों की कम संख्या क्योंकि बहुत से लाभार्थियों ने नई प्रस्तावित साद्य सुरक्षा योजना को महत्व दिया
	अनुदान सं. 10- विकास							
6	2030 ई.2(3)(1)(2)(5)-	350.00	0.00	350.00	279.58	70.42	20.12	कम कर जारी करना तथा स्थानान्तरण शुल्क

	उत्तरी दिल्ली नगरपालिका निगम							के दावे की गैर-प्राप्ति
7	2030 ई.2(3)(1)(2)(6)- दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम	600.00	0.00	600.00	484.00	116.00	19.33	कम कर जारी करना
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग							
8	2215 ए.6(1)(1)(6)- असंसाधित जल के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	150.00	0.00	150.00	37.50	112.50	75.00	अनुदान का द्विभाजन
9	2215ए.6(2)(1)(5)- जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के अंतर्गत प्रमुख नालों में अवरोधित सीवर के लिए दि.ज.बो. को स.अ.	257.80	0.01	257.81	191.20	66.61	25.84	अनुदान जारी नहीं किया जाना
10	2216 ए.7(1)(1)(3)- कमजोर वर्गों के घरों के निर्माण के लिए डी.एस.आई.डी.सी. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम)	196.88	0.00	196.88	76.01	120.87	61.39	डी एस आई डी सी द्वारा कम व्यय के कारण कम अनुदान जारी किया जाना।
11	2217 ए.8(2)(1)(26)- नगरपालिका सुधारों के लिए सहायता अनुदान	325.16	0.00	325.16	0.00	325.16	100.00	नगरपालिकाओं द्वारा गैर-निष्पादन तथा अनुदान का द्विभाजन
	अनुदान 13 – पेंशन							
12	2071 ए.1(1)(2)(1)- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- सरकारी योगदान	152.50	0.00	152.50	0.00	152.50	100.00	पेंशन योजना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण समस्त प्रावधानों का पूर्णतः अप्रयुक्त रह जाना
	राजस्व प्रभारित							
	लोक ऋण							
13	2049 ए.1(1)(1)- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज	3025.00	0.00	3025.00	2824.29	200.71	6.64	भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी किया जाना

	पूँजीगत-दत्तमत							
	अनुदान सं. 6- शिक्षा							
14	4202 एए.1(1)(1)(2)- सामान्य शिक्षा-विद्यालय भवनों के कार्यों की आउटसोर्सिंग	80.00	0.00	80.00	19.74	60.26	75.33	डीएसआईसीडीसी द्वारा लो.नि.वि. को कार्य स्थानान्तरित किए जाने के कारण कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान 7-चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य							
15	4210 एए.1(1)(1)(1)(1)- औषधालय/ स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन का निर्माण	65.00	0.00	65.00	0.81	64.19	98.75	कार्य की धीमी प्रगति तथा पूँजीगत शीर्ष में असावधानी से रसे गए राजस्व व्यय के लिए प्रावधान
	अनुदान 08- सामाजिक कल्याण							
16	7055 डीडी.4(1)(4)- केंद्रीय करों के पुनःभुगतान के लिए एम आर टी एस को ऋण	250.00	0.00	250.00	170.00	80.00	32.00	कम ऋण जारी होना.
17	7055 डीडी.4(1)(5)- बिक्री करों के पुनःभुगतान के लिए एम आर टी एस को ऋण	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	100.00	ऋण जारी नहीं किए जाने के कारण संपूर्ण प्रावधान पूर्णतः अव्ययित थे
	अनुदान 09- उद्योग							
18	4851 एए.1(1)(1)- उन्नयन, सुधार इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स को नागरिक सुविधाएं सौंपा जाना	150.00	0.00	150.00	50.00	100.00	66.67	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 10- विकास							
19	4059 ईई.2(1)(1)(1)- कार्यालय भवन - निर्माण - उपायुक्त कार्यालय	115.00	0.00	115.00	39.96	75.04	65.25	कार्य की धीमी प्रगति, प्रस्तावित निर्माण को अंतिम रूप दिया जाना
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग							
20	7615 एए.5(1)(5)- अर्थोपाय सहायता के लिए उत्तरी दिल्ली	500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	50.00	कम ऋण जारी किया जाना

	नगरपालिका निगम को ऋण							
21	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(1)- अस्पताल के लिए भवन का निर्माण	180.00	0.00	180.00	107.00	73.00	40.56	कार्य की धीमी प्रगति
22	5054 बीबी.11(1)(1)(5)- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	220.00	0.00	220.00	99.89	120.11	54.60	कार्य की धीमी प्रगति
23	5054 बीबी.11(1)(1)(8)- बी.आर.टी. कॉरीडोर	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	योजना के गैर- क्रियान्वयन के कारण समस्त प्रावधान अव्ययित पड़े रहे
24	6801 ईई.1(3)(3)(1)- प्रगति पॉवर परियोजना-III बवाना को ऋण	245.00	0.00	245.00	100.00	145.00	59.18	कम ऋण जारी करना
	कुल	10358.63	40.01	10398.64	7572.57	2826.07		

परिशिष्ट 2.2
विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त थे
(प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख अथवा उससे अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.3. को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	कारण
	राजस्व-दत्तमत				
	अनुदान सं. 4- वित्त				
1	3454-डी.1(1)(2)(5) सांख्यिकी प्रणाली का सुधार	300.00	0.00	300.00	निधियों का जारी न किया जाना
2	2040 एफ.1(3)(7)- मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली का क्रियान्वयन	50.00	0.00	50.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
	अनुदान सं. 6- शिक्षा				
3	2202 ए.1(2)(8)(29)- सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक के अंतर्गत राज्य अंश	1000.00	0.00	1000.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
4	2203 बी.1 (5) (18)- दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान को सहायता अनुदान	300.00	0.00	300.00	अनुदान का द्विभाजन
5	2230-बी.2 (1) (3) (4)- दिल्ली कौशल मिशन सोसाईटी को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
6	2205-एफ.2 (1) (21)- दिल्ली बाल एकेडमी को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00	अनुदान की गैर-प्राप्ति
	अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य				
7	2210 ए.1(1)(3)(1)- कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान	1700.00	0.00	1700.00	ईएसआईसी से माँग की गैर-प्राप्ति
8	2210 ए.1(2)(1)(1)(2)- नए मेडिकल, कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं पैरा-मेडिकल संस्थानों की स्थापना	2000.00	0.00	2000.00	योजना की धीमी प्रगति
9	2210 ए.1(3)(2)(14)- दिल्ली तपेदिक उन्मूलन समिति (डीटीयूस) को सहायता अनुदान	300.00	0.00	300.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
10	2210 ए.1(4)(1)(3)- राज्य रूग्णता सहायता फंड के लिए दिल्ली सरकार को योगदान (दिल्ली आरोग्य निधि)	50.00	0.00	50.00	योजना की धीमी प्रगति
11	2210 आर.1(1)(1)(1)- सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर	1955.00	0.00	1955.00	लोक नायक अस्पताल में विलय किया जाना
	अनुदान सं. 8- सामाजिक कल्याण				
12	3435 डी.5(1)(1)(3)-डीएमआरसी फीडर बस सेवाएँ (जेएनएनयूआरएम)	684.00	0.00	684.00	उत्तर प्रतीक्षित
	अनुदान सं. 9- उद्योग				

13	2851 ए.2(3)(6)- औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00	अनुदान को जारी नहीं किया जाना
14	2230 सी.2(1)(5)(1)- बाल श्रमिकों का पुनर्वास	250.00	0.00	250.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
15	2230 सी.2(1)(6)(1)(1)- दिल्ली स्वस्थ कुटुम्ब सोसाईटी को सहायता अनुदान	400.00	0.00	400.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
16	3456 डी. 1(4)(2)- घरेलु एलपीजी के उपभोक्ताओं को रियायत	200.00	0.00	200.00	कम ऋण जारी किया जाना
17	3456 डी. 1(4)(5)- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए बाजार मध्यस्थता का प्रावधान	250.00	0.00	250.00	ऋण जारी न किए जाने के कारण सभी प्रावधान सम्पूर्ण रूप से अप्रयुक्त पड़े रहे।
	अनुदान सं. 10- विकास				
18	2053 पी.3(3)(1)(2)- हैबिटेट फंड के लिए नागरिक देसभाल	500.00	0.00	500.00	कार्य की धीमी प्रगति
19	2053 क्यू.3(3)(1)(2)- हैबिटेट फंड के लिए नागरिक देसभाल	500.00	0.00	500.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
20	2401 आर.6(2)(2)- शहरी समूह के लिए वेजिटेबल इंजीनियरिंग (वीआईयूसी)	500.00	0.00	500.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाना
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लो.नि.वि.				
21	2216 ए.7(1)(1) (6)- राजीव आवास योजना (डीयूएसआईबी)	875.00	0.00	875.00	अनुदान का द्विभाजन
22	2216 ए.7(1)(1)(7)-कमजोर वर्गों के लिए घर बनाए जाने हेतु एनडीएमसी को अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	650.00	0.00	650.00	कम अनुदान जारी किया जाना
23	2217 ए.8(1)(1)(7)- विद्यमान आधारभूत संरचनाओं के लिए डीयूएसआईबी को स.अ.	500.00	0.00	500.00	अनुदान का द्विभाजन
24	2217 ए.8(2)(1)(7)(3)- सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए पूर्वी दिल्ली नगर पालिका निगम को अनुदान	1200.00	0.00	1200.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
25	2217 ए.8(2)(1)(17)(2)- अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं हेतु दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम को अनुदान	4500.00	0.00	4500.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
26	2217 ए.8(2)(1)(26)- नगरपालिका सुधारों के लिए सहायता अनुदान	32516.19	0.00	32516.19	नगरपालिकाओं द्वारा गैर-निष्पादन तथा अनुदान का द्विभाजन
27	2217 ए.8(2)(1)(28)- कनॉट प्लेस के पुनर्विकास के लिए एनडीएमसी को सहायता अनुदान	4500.00	0.00	4500.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
28	2217 ए.8(3)(1)(5)- वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास के लिए एसपीवी	4700.00	0.00	4700.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन

29	3054 ए.12(1)(1)(8)-शहरी सड़कों के लिए पूर्वी दिल्ली नगरपालिका निगम को स.अ.-सी.आर.एफ योजना	500.00	0.00	500.00	अनुदान का द्विभाजन
30	3054 ए.12(1)(1)(9)- जेएनएनयूआरएम के लिए उत्तर दिल्ली नगरपालिका निगम	1000.00	0.00	1000.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
	अनुदान सं. 13- पेंशन				
31	2071 ए.1(1)(2)(1)- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-सरकारी योगदान	15250.00	0.00	15250.00	पेंशन योजना का गैर-क्रियान्वयन
	राजस्व-प्रभारित				
	अनुदान सं. 6- शिक्षा				
32	2205 ई.1(1)(1)(1)- आर्ट कॉलेज-मुस्त्यालय स्था.	124.00	0.00	124.00	मामले का गैर-अन्तिमकरण
	पूंजीगत-दत्तमत				
	अनुदान सं. 4- वित्त				
33	4059 एफएफ.1(1)(1)(1)-निर्माण ट्रेड एंड टैक्स कर एनेक्सीज बिल्डिंग	2600.00	0.00	2600.00	योजना के गैर-क्रियान्वयन के कारण समस्त प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहे
	अनुदान सं. 6- शिक्षा				
34	6202 बीबी.2(1)(1)(1)- इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली	1000.00	0.00	1000.00	कारण प्रतीक्षित
35	4202 जेजे.1(1)(1)(1)-इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के भवन के लिए भूमि का आबंटन तथा निर्माण	1500.00	0.00	1500.00	कार्य की धीमी प्रगति
36	4202 जेजे.1(1)(1)(2)-अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना	1100.00	0.00	1100.00	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 8- समाज कल्याण				
37	6225 सीसी.2(3)(1)(3)-अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डीएसएफडीसी को ऋण	3000.00	0.00	3000.00	ऋण जारी नहीं किया जाना
38	5055 डीडी.1(1)(3)-एक नए निरीक्षण पिट के लिए भूमि की खरीद	300.00	0.00	300.00	प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
39	5055 डीडी.1(2)(2)-बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को आंशिक पूंजी	14000.00	0.00	14000.00	इक्विटी जारी नहीं किया जाना
40	7055 डीडी.4(1)(5)- बिक्री करों के पुनः अदायगी के लिए एमआरटीएस को ऋण	7500.00	0.00	7500.00	ऋण जारी नहीं किया जाना
41	7055 डीडी.4(2)(3)-आईएसबीटी के लिए डीटीटीडीसी को ऋण	3300.00	0.00	3300.00	कम ऋण जारी किया जाना
	अनुदान सं. 10- विकास				
42	4402 बीबी.2(1)(1)-क्षार प्रभावित भूमि का मृदा परीक्षण एवं मृदा सुधार	50.00	0.00	50.00	लो.नि.वि. द्वारा कार्य की धीमी प्रगति

43	4425 सीसी.3(1)(1)-दिल्ली सहकारी गृह वित्त निगम के लिए अंश पूंजी	3000.00	0.00	3000.00	अंश पूंजी जारी नहीं किया जाना
44	5425 आरआर.1(1)(4)- एकीकृत कचरा प्रबंधन	100.00	0.00	100.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
45	4217 एए.1(2)(1)(1)-रा.रा.क्षे. विकास बोर्ड को अंश पूंजी का वितरण	500.00	0.00	500.00	अंश पूंजी का जारी नहीं किया जाना
46	6215 एए. 2(1)(1)(11)- दि.ज.बो. को चंद्रावल डब्ल्यू टीपी के लिए ऋण	3500.00	0.00	3500.00	कम ऋण जारी किया जाना
47	7055 एए. 9(1)(1)(2)- जेएनएनयुआरएम के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए उत्तरी दिल्ली नगरपालिका को ऋण	1000.00	0.00	1000.00	ऋण का जारी नहीं किया जाना
48	4210 बीबी. 5(1)(1)(1)(30)-स्वास्थ्य सह-मातृत्व केंद्र कांतिनगर	50.00	0.00	50.00	कारण प्रतीक्षित
49	4210 बीबी. 5(1)(1)(1)(31)-अरुणा आसफ अली अस्पताल	50.00	0.00	50.00	कारण प्रतीक्षित
50	4250 बीबी. 8(2) (3)-नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स एवं श्रमिक कल्याण केंद्र का निर्माण/पुनरुद्धार	100.00	0.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति
51	5054 बीबी.11(1)(1)(6)- जेएनएनयुआरएम के अंतर्गत डीटीडीडीसी द्वारा सड़कों और पुलों का निर्माण	3000.00	0.00	3000.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
52	5054 बीबी.11(1)(1)(8)- बीआरटी कॉरीडोर	10000.00	0.00	10000.00	योजना को क्रियान्वित नहीं किए जाने के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे
53	5475 बीबी.14(1)(1)- भार तथा माप के लिए भवनों का निर्माण	55.00	0.00	55.00	जवाब भेजा नहीं गया
54	4225 बीबी.15(1)(1)(1)- भास्करवाल गाँव में अ.जा. के लिए शिक्षा हब के निर्माण के लिए	900.00	0.00	900.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
55	4801 ईई.2(1)(1)(8)- दिल्ली नवीकरणीय ऊर्जा पॉवर कंपनी-डीआरईपीसी.	450.00	0.00	450.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
56	4801 ईई.2(1)(1)(10)-कैङ्गावाला, में आईएल तथा आरपीएच में नई पॉवर परियोजनाएँ	50.00	0.00	50.00	योजना का गैर-क्रियान्वयन
	कुल	134659.2	0.00	134659.2	

परिशिष्ट 2.3

वर्ष 2013-14 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है
(पैराग्राफ 2.3.5. के संदर्भ में)

(रुंलाख में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	अधिक राशि
	अनुदान सं. 3- प्रशासनिक न्याय	
1	2015 (एफ).1(1)(2)- वोटों को पहचानपत्र जारी किया जाना	182.39
	अनुदान सं. 6- शिक्षा	0.00
2	2202 ए.1(2)(8)(9)- विद्यालयों के पुस्तकालय का सुधार	3.78
3	2202 ए.1(4)(4)(5)- अन्य व्यय इडीपी सैल	0.11
4	2202 ए.1(4)(4)(9)- प्रतिभा विकास विद्यालय खोला जाना	13.10
	अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	0.00
5	2210 ए. 1(3)(2)(8)- धूमपान रोकने के लिए सैल	0.31
6	2210 बी. 1(2)(1)(1)- कचरा प्रबंधन परियोजना	1.59
	अनुदान सं. 8- समाज कल्याण	0.00
7	2235 बी.2(1)(2)(5)- बाल कल्याण डे-केयर सेंटर	0.02
8	2235 बी.2(1)(3)(8)- महिला कल्याण-क्रेच	2.46
9	2235 बी.2(1)(3)(11)- बाल तथा महिला संस्थान में कर्मचारी	0.26
10	2235 बी.2(1)(4)(1)- ग्राम कुटीर गृह	2.30
11	2225 सी.1(1)(3)(12)-मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना	27.98
	अनुदान सं. 10- विकास	0.00
12	2029 एम.1(3)(1)(1)- अन्य व्य. —उत्तर पूर्वी जोन-विधानसभा कार्यकाल	0.18
13	2053 पी.3 (1)(1)-जिला स्था. — शाहदरा जोन	33.83
14	4403 बीबी.3(1)(1)-पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा अस्पतालों एवं औषधालयों में संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण	29.13
15	4711 डीडी.2(2)(2)(3)-यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड	0.03
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विकास	0.00
16	2217 ए.8(2)(1)(34)-डीयूएसआईबी को स्था. प्रभारों के लिए सहायता अनुदान	53.00
17	4217 एए.1(3)(1)(5)-अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास	131.87
18	5054 बीबी.11(1)(1)(4) —जिला तथा अन्य सड़के अन्य व्यय सीआरएफ योजना	34.78
	कुल	517.12

परिशिष्ट 2.4

अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम तथा सं.	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से अधिक बचत	पूरक प्रावधान	बचत के कारण
	राजस्व प्रभारित					
	अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन					
1	2014 ए.1(1)(1)- उच्च न्यायालय-निर्देश एवं प्रशासन	139.85	135.60	4.25	3.55	पदों को नहीं भरा जाना, कम दौरे, सोलर हीटिंग सिस्टम की स्थापना
	राजस्व दत्तमत					
	अनुदान सं. 6- शिक्षा					
2	2202 ए.1(2)(8)1)-सामान्य- माध्यमिक शिक्षा-अन्य व्यय- अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाएँ	1867.14	1785.42	81.72	40.00	रिक्त पद, कम दावों की प्राप्ति भंडार मदों की कम खरीद, एम ए सी पी मामलों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा बिलों को समाशोधित नहीं किया जाना
	अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
3	2210 बी.1(1)(1)-लोकनायक अस्पताल	286.31	283.60	2.71	10.00	बचत के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए, क्योंकि कुल प्रावधान की तुलना में बचत की मात्रा नगण्य थी
	अनुदान सं. 8- सामाजिक कल्याण					
4	2235 बी.2(1)(2)(14)- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ सीएसएस	95.00	76.95	18.05	6.11	कारण प्रतीक्षित
5	2225 सी.1(1)(1)(5)-विद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को किताबों एवं स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति	46.28	43.65	2.63	8.92	कारण प्रतीक्षित
6	2225 सी.1(1)(1)(7)-अ.जा./अ.ज.जा /अ.पि.व एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों – कक्षा I से XII को मेरिट छात्रवृत्ति (एससीएसपी)	33.60	32.40	1.20	10.20	कारण प्रतीक्षित
7	2225 सी.1(1)(3)(5)-विद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को किताबों एवं स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति	65.50	61.40	4.10	5.00	कारण प्रतीक्षित
8	2225 सी.1(1)(3)(9)- अ.जा./अ.ज.जा /अ.पि.व एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों – कक्षा I से XII को मेरिट छात्रवृत्ति	51.01	49.66	1.35	18.19	कारण प्रतीक्षित
	कुल	2584.69	2468.68	116.01	101.97	

परिशिष्ट 2.5
अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा संख्या	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत	बचत के कारण
	राजस्व प्रभारित			
	अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन			
1	2014 ए.1(1)(1)-न्यायालय निर्देश एवं प्रशा.	0.22	8.02	पदों को नहीं भरा जाना, कम दौरे तथा सोलर हीटिंग सिस्टम की कम स्थापना
	राजस्व दत्तमत			
	अनुदान सं. 2- सामान्य प्रशासन			
2	2052 सी.1(1)(1)-मुख्य सचिवालय	2.00	1.54	वेतन के बकाए को आहरित न किया जाना, एमएसीपी, विदेशी दौरे सरकारी प्रेस से बिलों की प्राप्ति न होना तथा कम दावे
3	2220 एफ.1(1)(1)(1)-सूचना तथा प्रसार – जन संपर्क निदेशालय	0.57	4.69	मीडिया प्लान को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
	अनुदान सं. 3- न्यायिक प्रशासन			
4	2014 ए.1(1)(5)(1)- दिल्ली न्यायिक एकेडमी- निर्देश एवं प्रशा.	1.05	4.06	एकेडमी को नए परिसर में स्थानांतरित किए जाने में देरी
5	2014 बी.1(1)(2)-जिला एवं सेशन कोर्ट का कंप्यूटरीकरण	5.95	3.55	कंप्यूटर तथा यूपीएस की समय पर खरीद के लिए संस्वीकृति प्राप्त न होना
6	2015 एफ.1(2)-निर्वाचन अधिकारी	0.68	1.10	कारण प्रतीक्षित
7	2015 एफ.1(4)(1)-लोकसभा चुनाव	6.50	2.39	कारण प्रतीक्षित
	अनुदान सं. 4- वित्त			
8	2040 एफ.1(3)(3)-व्यापार एवं कर विभाग प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसार तथा जागरूकता	2.00	1.21	विज्ञापनों पर कम व्यय
9	3454 आई.1(1)(2)(6)-सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ई-गवर्नेंस परियोजना	1.88	1.31	कारण प्रतीक्षित
	अनुदान सं. 5- गृह			
10	2056 ए.1(1)(1)- जेल स्था.	0.91	25.84	कारण प्रतीक्षित
	अनुदान सं. 6- शिक्षा			
11	2202 ए.1(1)(1)(1)(1)-एससीईआरटी को सहायता अनुदान (सी एस एस)	2.00	1.85	भा.स.द्वारा केंद्रीय अंश कम जारी किया जाना
12	2202 ए.1(2)(4)(3)-पाठ्यक्रम की पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति	10.74	16.01	विद्यालयों द्वारा कम निधियों की माँग
13	2202 ए.1(2)(6)(1)-कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता	25.00	21.43	रिक्त पदों एमएसीपी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा बिलों का गैर समाशोधन
14	2202 A.1(2)(8)(17)- स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन	6.13	1.67	रिक्त पदों एमएसीपी मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा बिलों का गैर समाशोधन
15	2202 ए.1(4)(4)(13)- विद्यालय विस्तार कार्यक्रम	2.00	1.03	विद्यालयों द्वारा निधियों का कम उपयोग

16	2202 ए.1(4)(4)(19)- युवा योजना	1.00	1.12	चुनाव दौरे को पूरा नहीं किया जाना
17	2202 ए.1(4)(4)(21)- सेकंडरी स्टेज में असशक्तों की एकीकृत शिक्षा (आईडीएसएस-सीएसएस) (केंद्रीय अंश)	2.00	1.23	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फ्रेशटनए बिलों की प्रस्तुति
18	2202 ए.1(4)(4)(23)- लड़कियों में मासिक स्वच्छता	1.79	1.08	कारण प्रतीक्षित
19	2202 ए.1(4)(5)(2)-शिक्षा का अधिकार अधिनियम (एससीएसपी)	2.00	1.58	पब्लिक विद्यालयों से कम दावों की प्राप्ति
20	2236 ए.4(1)(2)(1)-बच्चों के लिए मध्यान्तर भोजन (एससीएसपी)	0.65	1.23	विद्यालयों द्वारा निधियों का कम उपयोग
21	2203 बी.1(4)(1)- पॉलीटेकनीक-निर्देश एवं प्रशा.	0.41	6.30	एससीपी मामलों का कार्यान्वित नहीं किया जाना तथा रिक्त पदों को नहीं भरा जाना
22	2230 बी.2(1)(2)(1)- क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना	0.41	5.47	कारण प्रतीक्षित
23	2204 डी.1(1)(1)- विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम एनसीसी/एससीपी	0.18	2.62	रिक्त पदों को नहीं भरा जाना तथा चुनाव के कारण बिलों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाना
24	2202 एफ.1(1)(1)(1)- विद्यालयों में पंजाबी शिक्षा कार्यक्रम के लिए पंजाबी एकेडमी को अनुदान	1.50	1.05	टीजीटी एव पीजीटी के पारिश्रमिक की वृद्धि को कार्यान्वित नहीं किया जाना
25	2205 एफ.2(1)(10)- राजकीय समारोहों को आयोजित किए जाने के लिए साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	1.45	3.23	आदर्श आचार संहिता के कारण विभिन्न कार्यक्रमों का गैर-आयोजन
	अनुदान सं. 7- चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य			
26	2210 ए.1(1)(1)(1)(1)- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी स्वास्थ्य स्था.	0.91	3.10	प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति तथा बिलों की वसूली नहीं होना
27	2210 ए.1(1)(4)(7)- मौलाना आजाद दंतविज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान	2.00	2.30	कारण प्रतीक्षित
28	2210 ए.1(1)(7)(1)-जेजे कलस्टरो में मोबाईल वैन औषधालय (एससीएसपी)	0.21	2.47	प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति
29	2210 बी.1(1)(1)(1)- लोकनायक अस्पताल	1.51	14.21	विभाग द्वारा बचत के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि बचत की राशि कुल प्रावधान के 5% से कम थी
30	2210 एन.1(1)(1)(1)- डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	1.34	13.35	कारण प्रतीक्षित
31	2210 टी.1(1)(1)(1)- सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल	0.50	1.77	कारण प्रतीक्षित
32	2210 जेड.1(1)(1)(1)- डॉ. एन.सी. जोशी स्मारक अस्पताल	2.21	3.24	बिस्तरों की संख्या में वृद्धि के कारण रिक्त पदों को नहीं भरा तथा भंडार मदों की गैर - स्वरीद

33	2210 एफ.1(1)(1)(1)- महर्षि बात्मिकी अस्पताल	3.14	1.80	रिक्त पदों को नहीं भरा जाना तथा %014 के चुनाव आयोजन में आदर्श आचार संहिता
	अनुदान सं. 8- सामाजिक कल्याण			
34	2235 ए.2(1)(2)(18)- असशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	9.89	1.77	कारण प्रतीक्षित
35	2235 बी.2(1)(3)(17)- गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता	1.50	1.13	कारण प्रतीक्षित
36	2235 बी.2(1)(3)(20)- विधवाओं को पेंशन	63.51	1.07	कारण प्रतीक्षित
37	2236 बी.3(1)(1)(3)- पूरक पोषण कार्यक्रम	5.82	3.07	कारण प्रतीक्षित
38	2236 बी.3(1)(1)(7)- पूरक पोषण कार्यक्रम (सीएसएस)	6.99	9.26	कारण प्रतीक्षित
39	3435 डी.5(1)(1)(3)- डीएमआरसी फीडर बस सर्विस (जेएनएनयूआरएम)	6.84	6.84	कारण प्रतीक्षित
	अनुदान 9- उद्योग			
40	2851 ए.2(5)(7)- ई-बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण (सीएमएम)	1.71	1.72	ई-बिज पोर्टल के साथ सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण न होना
	अनुदान सं. 10- विकास			
41	2401 बी.1(6)(3)- पशुधन गणना कराया जाना (सीएसएस)	3.74	2.03	कारण प्रतीक्षित
42	2702 डी.2(1)(1)(2)-लघु सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए स्था. प्रभार	0.07	1.93	बचत मुख्यतः मितव्ययता उपायों के कारण
43	2711 डी.3(2)(1)(2)- निकास व्यवस्था अनुरक्षण	2.00	7.84	बचत मुख्यतः मितव्ययता उपायों के कारण
44	2015 जी.5(1)(1)(1)- केंद्रीय जिला चुनाव पर व्यय	5.95	2.12	सक्षम प्राधिकारी के गैर-अनुमोदन के कारण भुगतान नहीं किया जाना
45	2053 एच.3(1)(1)-जिला प्रशासन नई दिल्ली जोन	2.37	1.99	कारण प्रतीक्षित
46	2053 एन.3(1)(1)-जिला प्रशासन उत्तर पश्चिम जोन	0.23	1.41	कारण प्रतीक्षित
47	2015 ओ.7(1)(1)(1)-उत्तरी जिला-चुनाव पर व्यय	6.95	1.90	प्रशासनिक कारणों से चुनाव संबंधी बिलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
48	2217 ए.8(3)(1)(6)- अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान	6.25	4.08	आदर्श आचार संहिता लागू किया जाना

49	2217 ए.8(3)(2)(1)-आधार भूत संरचनाओं जैसे-प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कें, गलियों, स्थानों तथा स्ट्रीट लाइट की वृद्धि तथा सशक्तीकरण	6.99	5.24	आदर्श आचार संहिता लागू किया जाना
50	2216 बी.2(1)(1)(3)- गृह-सरकारी आवसीय भवन किराया, दरें तथा कर	1.60	1.58	कारण प्रतीक्षित
	पूँजी-दत्तमत			
	अनुदान सं. 9- उद्योग			
51	5475 डीडी.1(1)(1)- जिला फोरम तथा राज्य कमीशन को आवास प्रदान किया जाना	1.00	1.77	लोक सभा चुनाव %014 के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू किया जाना
	अनुदान सं. 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
52	4217 एए.1(3)(1)(2)- शहरी गाँवों का विकास	14.99	21.85	कारण प्रतीक्षित
53	4059 बीबी.2(1)(2)(8)- चुनाव कार्यालय भवन	1.50	1.13	कारण प्रतीक्षित
54	4202 बीबी.4(2)(2)(1)-पॉलीटेकनीक भवन	157.00	1.27	कारण प्रतीक्षित
55	4202 बीबी.4(3)(1)(3)-प्ले ग्राउंड स्वीमिंग पुलों, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का विकास	6.50	2.36	कारण प्रतीक्षित
56	4250 बीबी.8(1)(1)-रोजगार आईटीआई का निर्माण	16.00	1.66	कारण प्रतीक्षित
57	5054 बीबी.11(1)(1)(1)-सड़को तथा पुलों का निर्माण	334.90	1.26	कारण प्रतीक्षित
	कुल	755.14	249.13	

परिशिष्ट 2.6
निधियों का ₹ एक करोड़ से अधिक तथा मूल प्रावधान के 60 प्रतिशत अभ्यर्पण के मामले
(पैराग्राफ 2.3.8 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मुख्यशीर्ष/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	मूल प्रावधान का प्रतिशत	अभ्यर्पण का कारण
1	अनुदान संख्या 4-	2054 ए.1(1)(2)(1)- प्रधान लेखा कार्यालय – ई.डी.पी. सैल	33.00	31.68	96.00	योजना की धीमी प्रगति
2	वित्त	4059 एफ.एफ.1(1)(1)(1)-कर एवं व्यापार एनक्सी बिल्डिंग	26.00	26.00	100.00	योजना का गैर - क्रियान्वयन
3	अनुदान संख्या 6 -	4250 बी.बी.1(1)(2)- जनकपुरी में विश्वस्तरीय योजना उन्नयन केन्द्र	45.00	33.00	73.33	कार्य की धीमी प्रगति
4	शिक्षा	4202 जी.जी.1(1)(1)- पुरातत्व विभाग अन्य व्यय	6.95	5.95	85.61	कार्य की धीमी प्रगति
5		4202 जे.जे.1(1)(1)(1)- भूमि का आबंटन तथा इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण	15.00	14.99	99.93	कार्य की धीमी प्रगति
6		4202 जेजे.1(1)(1)(2)- अम्बेडकर विश्वविद्यालय	11.00	10.90	99.09	कार्य की धीमी प्रगति
7	अनुदान संख्या 7 -	2210 ए.1(2)(1)(1)(2)-नए मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा पैरामेडिकल इंस्टीच्यूट की स्थापना	20.00	19.00	95.00	कार्य की धीमी प्रगति
8	चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य	2210 ए.1(3)(2)(14)- दिल्ली तपेदिक उन्मूलन समिति को सहायता अनुदान (डी.टी.यू.एस)	3.00	3.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
9		2210 ए.1(3)(4)(1)- जनस्वास्थ्य निदेशालय	15.00	11.50	76.67	कार्य की धीमी प्रगति
10		2210 आई.1(1)(1)(1)(5)-स्वाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम का कार्यान्वयन-कार्यालय व्यय	25.70	20.89	81.28	स्वीकृत प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना
11		2210 आई.1(1)(1)(2)-स्वाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला	5.00	4.58	91.60	प्रयोगशाला मदों की कम स्वीकृत
12		2211 के.1(1)(1) टीक्यूएम परिवार कल्याण निदेशालय एवं व्यवस्था सुधार	2.00	2.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति
13		4210 ए.ए.1(1)(1)(1)(1)-औषाघालय/स्वास्थ्य-देखभाल के लिए भवन का निर्माण	65.00	60.50	93.08	कार्य की धीमी प्रगति

14	अनुदान संख्या 8- समाज कल्याण	4235 ए.ए.1(1)(2)(1)-वृद्धाश्रम	10.36	6.51	62.84	कार्य की धीमी प्रगति
15		6225 सी.सी.2(1)(2)(6)-अ.जा./अ.ज.जा./अपि व अल्पसंख्यको के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना के लिए डी.एस.एफ.डी.सी. को ऋण	20.00	16.00	80.00	कम ऋण जारी किया जाना
16		5055 डी.डी.1(2)(2)-बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूंजी	140.00	140.00	100.00	इक्विटी जारी नहीं किया जाना
17		5055 डी.डी.1(3)(1)- इलेक्ट्रॉनिक-ड्राली बसे परिवहन के वैकल्पिक साधन की शुरुआत	100.00	97.00	97.00	कार्य की धीमी प्रगति
18		7055 डी.डी.4(1)(5)-बिक्री की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण	75.00	75.00	100.00	कम ऋण जारी किया जाना
19		7055 डी.डी.4(2)(3)-आई एस बीटी के लिए डी.टी.टी.डी.सी को ऋण	33.00	32.00	96.97	कम ऋण जारी किया जाना
20		अनुदान संख्या 9- उद्योग	2852 ए.6(1)(1)(1)-स्वाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय मिशन (सी.एस.एस)	2.50	2.00	80.00
21	2230 सी.2(1)(4)(5)-दिल्ली स्वावलंब योजना		3.00	2.16	72.00	कार्य की धीमी प्रगति
22	2230 सी.2(1)(5)(1)- बाल श्रमिकों का पुनर्वास		2.50	2.50	100.00	योजना का गैर क्रियान्वयन
23	2230 सी.2(1)(6)(1)(1)-दिल्ली स्वस्थ कुटुंब सोसाईटी को सहायता अनुदान		4.00	4.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
24	3456 डी.1(4)(2)- घरेलु एल.पी.जी के उपभोक्ताओं को सब्सिडी		2.00	2.00	100.00	योजना की धीमी प्रगति
25	3456 डी.1(4)(5)-आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की रोकथाम के लिए बाजारों के हस्तक्षेप का प्रावधान		2.50	2.50	100.00	योजना की धीमी प्रगति
26	4851 ए.ए.1(1) औद्योगिक एस्टेट		150.00	100.00	66.67	योजना की धीमी प्रगति
27	अनुदान संख्या 10- विकास		2053 पी.3(3)(1)(2)- शाहदरा जोन नागरिकों की देखभाल के लिए आवास फंड	5.00	4.80	96.00
28		2053 क्यु.3(1)(1)(1)- दक्षिण-पूर्वी जोन -वेतन	1.47	1.46	99.32	रिक्त पदों को नहीं भरा जाना
29		2053 क्यु.3(1)(1)(4)-दक्षिण पूर्वी जोन कार्यालय व्यय	1.50	1.37	91.33	कम व्यय
30		2053 क्यु.3(3)(1)(2)- दक्षिण पूर्वी जोन- नागरिकों की देखभाल के लिए आवास फंड	5.00	5.00	100.00	योजना का गैर - क्रियान्वयन
31		2810 आर.4(1)(1)(2)-सौर ऊर्जा / नवीकरणीय ऊर्जा	5.00	3.50	70.00	योजना की धीमी प्रगति

32		2401 आर.6(2)(2)- शहरी समूह के लिए	5.00	5.00	100.00	योजना की धीमी प्रगति
33		4425 सी.सी.3(1)(1)-दिल्ली सहकारी गृह वित्त निगम लि. (दि.स.गृ.वि.नि.) को शेयर पूँजी	30.00	30.00	100.00	शेयर पूँजी को जारी नहीं किया जाना
34	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	2070 ए.3(2)(4)- स्थानीय निकायों का निदेशालय	20.00	19.10	95.50	निदेशालय की स्थापना न किया जाना
35		2217 ए.8(2)(1)(7)(3)- सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए पूर्वी दिल्ली नगरपालिका निगम को अनुदान	12.00	12.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना
36		2217 ए.8(2)(1)(17)(2)- अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं के लिए दक्षिण दिल्ली नगरपालिका निगम को सहायता अनुदान	45.00	45.00	100.00	कम अनुदान जारी किया जाना
37		2217 ए.8(2)(1)(28)-कनॉट प्लेस के पुनर्विकास के लिए एन.डी.एम.सी को सहायता	45.00	45.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
38		2217 ए.8(3)(1)(5)- वॉल्ड सिटी के पुनर्विकास के लिए एस.पी.वी.	47.00	47.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
39		3054 ए.12(1)(1)(9)- जे.एन.एन.यू.आर.एम के लिए दिल्ली नगरपालिका निगम को स.अ.	10.00	10.00	100.00	अनुदान जारी नहीं किया जाना
40		3475 ए.14(1)(3)-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत सामाजिक सुविधा संगम को राज्य अंश के तौर पर अनुदान	6.50	4.50	69.23	कम अनुदान जारी किया जाना
41		2081 ई.2(2)(1)(6)-एच.टी. /एल.टी ट्रांसमिशन विद्युत तारों को स्थानांतरित करना	15.00	11.66	77.73	योजना की धीमी प्रगति
42		अनुदान संख्या 13: पेंशन	2071 ए.1(1)(2)(1)- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सरकारी योगदान —पेंशन प्रभार	152.50	152.50	100.00
कुल			1223.48	1123.55		

परिशिष्ट 2.7

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ, की विवरणी
(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1	2	सामान्य प्रशासन – प्रभारित	381.57
2	4	वित्त-प्रभारित	0.50
3	5	गृह-प्रभारित	23.45
4	9	उद्योग-प्रभारित	17.15
		कुल	422.67

परिशिष्ट 2.8

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई
(पैराग्राफ: 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम व संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित होनी है
1.	अनुदान संख्या 1 विधान सभा	दत्तमत 4.16	3.11	1.05
2.	अनुदान संख्या 2 सामान्य प्रशासन	दत्तमत 18.68	3.40	15.28
3.	अनुदान संख्या 3 न्याय का प्रशासन	दत्तमत 48.99	23.23	25.76
4.	अनुदान संख्या 3 न्याय का प्रशासन	प्रभारित 9.39	0.30	9.09
5.	अनुदान संख्या 4 वित्त	दत्तमत 98.01	76.01	22.00
6.	अनुदान संख्या 5 गृह	दत्तमत 45.91	6.72	39.19
7.	अनुदान संख्या 6 शिक्षा	दत्तमत 599.48	322.58	276.90
8.	अनुदान संख्या 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	दत्तमत 792.04	545.56	246.48
9.	अनुदान संख्या.8: समाज कल्याण	दत्तमत 851.84	661.25	190.59
10.	अनुदान संख्या.9: उद्योग	दत्तमत 259.00	186.52	72.48
11.	अनुदान संख्या.10: विकास	दत्तमत 523.39	400.44	122.95
12.	अनुदान संख्या.11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	दत्तमत 977.42	706.45	270.97
13.	अनुदान संख्या.13: पेंशन	दत्तमत 154.71	152.50	2.21
	कुल	4383.02	3088.07	1294.95

परिशिष्ट 2.9

अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त रहा
(पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	राजस्व-दत्तमत			
	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन			
1	2052 सी1 (1) (7) (1) अन्य प्रशासनिक स्वर्चें भागीदारी (सी एस एस)	1.00	0.00	1.00
	अनुदान सं. - 4 वित्त			
2	डी 1 (1) (2) (3) इण्डिया स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थिनिंग प्रोजेक्ट(आई एस एस पी) (सी एस एस)	10.00	0.00	10.00
	अनुदान सं. 6 शिक्षा			
3	2202 ए 1(2)(8)(31) विद्यालयों में अतिथि सत्कार एवं पर्यटन पाठ्यक्रम (सी एस एस)	60.00	0.00	60.00
4	2202 ए 1(2) (8) (32) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों (सीएसएस) में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश	1000.00	0.00	1000.00
5	2203 बी. 1(5)(21)- राज्य परियोजना सुविधा ईकाई तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	12.00	0.00	12.00
6	2230 बी 2 (1) (2) (3) सरकारी आई.टी.आई. (सी.एस.एस.) में प्रशिक्षण अवसंरचना को प्रोन्नत करना	1.00	0.00	1.00
7	2230 बी 2 (1) (3) (1) (2) वर्तमान आई टी आई (सी एस एस) में विस्तृत प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की खरीद तथा आई टी आई का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन	10.00	0.00	10.00
	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य			
8	2210 ए.1(3)(2)(1)(1)- राष्ट्रीय ट्रॉकोमा तथा अंधता नियन्त्रण कार्यक्रम- सामान्य क्षेत्र (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
9	2210 ए 1 (3) (2) (1) (3) दिल्ली स्टेट ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल सोसायटी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
10	2210 ए.1(3)(2)(12)(1)- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सामान्य क्षेत्र (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
11	2210 ए 1 (3) (2) (12)(2) अ.जा. हेतु एससीएसपी (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
12	2210 ए 1 (4) (1) (5) राज्य रुग्णता सहायता निधि को केन्द्रीय सरकार का अंशदान (सीएसएस)	10.00	0.00	10.00
13	2210 एफ 1 (3) (1) (3) मेडिकल कालेज में भौतिक औषध व पुनर्वास विभाग में सुविधाओं का उन्नयन (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
14	2210 एफ. 1 (3) (1) (4) मौजूदा नर्सिंग स्कूलों/कालेजों को सुदृढ़ बनाना (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
15	2211 के.1(9)(3)- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-उप-केन्द्र (सीएसएस)	60.00	0.00	60.00
16	2210 एम.1(3)(1)(2)(1)-आयुष संस्थानम्हाविद्यालयों का विकास तथा उन्नयन सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
17	2210 एबी.1(1)(1)(1)- लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	5.00	0.00	5.00
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण			
18	2235 ए 2 (1) (7) (1) भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए स्कीम (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
19	2235 बी 2 (1) (3) (24) महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र (सीएसएस)	33.00	0.00	33.00
20	2225 सी 1 (1) (1) (6) दिलशाद गार्डन में परीक्षा-पूर्व कोचिंग हेतु नया केन्द्र (एस सी एस पी)	1.00	0.00	1.00

21	2225 सी 1 (1) (1) (9) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित मकानों के विद्युतीकरण हेतु सब्सिडी [एस सी/ एस टी (एस सी एस पी) हेतु हाऊसिंग सब्सिडी]	10.00	0.00	10.00
22	2225 सी 1 (1) (1) (14) राजीव गाँधी रत्न आवास योजना के अन्तर्गत एस सी स्लम निवासियों को आर्थिक सहायता हेतु डी यू एस आई बी को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	101.00	0.00	101.00
23	2225 सी1 (1) (1)(15) एस सी हेतु शिक्षा हब (एससीएसपी)	100.00	0.00	100.00
24	2225 सी. 1(1)(1)(16)- “मातृ शिशु सुरक्षा योजना” (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत अ.जा. गर्भवती महिलाओं के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान	100.00	0.00	100.00
25	2225 सी 1 (1) (1) (17) एस सी महिलाओं के लिए एन्टीनेटल केस इन्सटीट्यूशनल डिलिवरी उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	100.00	0.00	100.00
26	2225 सी 1 (1) (3) (7) कोचिंग एण्ड एलाईड स्कीम (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) (सी.एस.एस.)	2.00	0.00	2.00
27	2225 सी.1(1)(4)(2)- सिविल राईट अधिनियम 1955 तथा अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 (सी.एस.एस.) का कार्यान्वयन	100.00	0.00	100.00
28	2225 सी.1(1)(4)(3)- अनुसूचित जाति संघटक योजना (सी.एस.एस.) हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	50.00	0.00	50.00
29	2225 सी.1(3)(2)(2)- डा. अम्बेडकर रत्न अवार्ड का प्रारंभ (एस.सी.एस.पी.)	2.00	0.00	2.00
30	3452 ई.1(1)(5)- सैयद-उद-अजैब (सी.एस.एस.) में टूरिस्ट काम्प्लेक्स	54.00	0.00	54.00
31	3452 ई 1 (2) (3) (1) गार्डन फेस्टिवल मनाने के लिए डी टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	2.00	0.00	2.00
32	3452 ई 1 (2)(3) (6) छावला एवं कंगनहेरी जल क्रीड़ा के विकास के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	145.00	0.00	145.00
33	3452 ई 1 (2)(3) (9) संजय लेक में सॉफ्ट एडवेन्चर पार्क के विकास हेतु डी टी डी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	90.00	0.00	90.00
34	3452 ई 1(2) (3) (12) दिल्ली हाट, आईएनए नई दिल्ली में नई सुविधाएँ हेतु डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	15.00	0.00	15.00
35	3452 ई 1 (2) (3) (13) इंगिफेस्ट के आयोजन हेतु डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान	1.00	0.00	1.00
	अनुदान सं. 9 उद्योग राजस्व दत्तमत			
36	2851 ए.2(5)(7)- ई-बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण	172.06	0.00	172.06
37	2851 ए 2(6) (9) हथकरघा वस्त्र की विक्री पर छूट (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
38	2851 ए 2 (6) (11) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना हेतु हैण्डलूम को प्रोत्साहन (सीएसएस)	100.00	0.00	100.00
39	2851 ए 2 (9) (5) हस्तशिल्प को प्रोत्साहन (एससीएसपी)	1.00	0.00	1.00
40	2852 ए 6 (1) (1) (1) स्वाद्य प्रक्रिया पर राष्ट्रीय मिशन (सीएसएस)	250.00	0.00	250.00
41	2230 सी 2 (1) (7)(3) बाल श्रमिक का पुनर्वास (एस सी एस पी)	50.00	0.00	50.00
42	3456 डी 1 (3)(2) उपभोक्ता जागरूकता प्रोग्राम (सीएसएस)	10.00	0.00	10.00
	अनुदान सं. 10 विकास			
43	2402 बी 2 (2) (1) सिलाइन प्रभावित भूमिका मृदा परीक्षण एवं मृदा सुधार (एस सी एस पी)	1.20	0.00	1.20
44	2403 बी 3 (2) (9) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (पशु रोग नियंत्रण) (सीएसएस)	50.00	0.00	50.00
45	2245 ई.8(2)(1)(3)- भूकम्प जोखिम प्रबन्धन हेतु क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00

46	2245 ई 8 (2) (1) (4) राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा प्रोग्राम (सीएसएस)	1.00	0.00	1.00
47	2506 ई.10(1)(1)- भूमि लेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
48	2070 ई.16(1)(1)(2)- सिविल सुरक्षा की पुनर्मरम्मत (सी.एस.एस.)	80.00	0.00	80.00
49	2406 एफ.2(2)(1)(4)- पशुओं की देखभाल के लिए शैल्टर हाऊस का प्रावधान (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
50	2406 एफ 2 (2) (1) (5) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य असोला भाटि वन्यजीव अभ्यारण्य का विकास (सीएसएस)	3.20	0.00	3.20
51	3435 आर.2(3)(2)(1)- पर्यावरण की उन्नति, उन्मूलन तथा रोकथाम में एन.जी.ओ. को सहायता (एस.सी.एस.पी.)	4.00	0.00	4.00
	अनुदान संख्या. 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
52	2216 ए.7(1)(2)(3)- राजीव आवास योजना (डी.यू.एस.आई.बी.) (एस.सी.एस.पी.)	125.00	0.00	125.00
53	2216 ए.7(1)(2)(4)- कमजोर वर्गों के लिए गृहों के निर्माण के लिए न.दि.न.पा. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (एम.सी.एस.पी.)	150.00	0.00	150.00
54	2217 ए.8(2)(3)(3)(1)- धोबी घाट के निर्माण तथा सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	200.00	0.00	200.00
55	2217 ए.8(2)(3)(3)(2)- धोबी घाट के निर्माण तथा सुधार के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	200.00	0.00	200.00
56	2217 ए.8(2)(3)(3)(3)- धोबी घाट के निर्माण तथा सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	150.00	0.00	150.00
57	2217 ए.8(3)(1)(4)- जे.एन.एन.यू.आर.एम के अंतर्गत बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन के प्रति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए क्षमता निर्माण गतिविधियाँ (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
	राजस्व - प्रभारित			
	अनुदान संख्या 3: न्यायिक प्रशासन			
58	2014 ए. 1 (1) (2)- न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायों के लिए अनुदान (सी.एस.एस.)	15.80	0.00	15.80
	पूंजीगत - दत्तमत			
	अनुदान संख्या 6: शिक्षा			
59	4202 जीजी.1 (1) (1) (4)- डी.टी.टी.डी.सी. (सी.एस.एस.) द्वारा स्मारकों का संरक्षण, दीप सज्जा (सी.एस.एस.)	10.00	0.00	10.00
	अनुदान संख्या 8: सामाजिक कल्याण			
60	6225 सीसी.2(1)(2)(6)- अ.जा./अ.ज.जा. /अ.पि.व. पिछड़े वर्गों के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डी.एस.एफ.डी.सी. को ऋण (एस.सी.एस.पी.)	2000.00	0.00	2000.00
61	5452 ईई.1(1)(2)(1)- पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (सी.एस.एस.)	17.00	0.00	17.00
	अनुदान संख्या 9: उद्योग			
62	6851 एए 3 (4)(2) करघों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण (एस सी एस पी)	1.20	0.00	1.20
	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लो.नि.वि.			
63	4250 बीबी.8(2)(4)(1)- व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना - वर्ल्ड बैंक अंश (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00
	कुल	5680.46	0.00	5680.46

परिशिष्ट 2.10
वर्ष 2013-14 के अंत में व्यय का द्रुतप्रवाह
(पैराग्राफ 2.3.11 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय (2013-14)		मार्च 2014 में किए गए व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	06 शिक्षा	2202 ए.1(2)(8)(1)(7)- आपूर्ति तथा मदें- विद्यालय को अतिरिक्त सुविधायें-अन्य व्यय- योजना	17.00	11.50	11.07	96.26	10.88	94.61
2.		4202 ए.ए.1(1)(1)(1)- वी.के.एस. योजना द्वारा स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण	26.00	23.93	17.97	75.09	15.07	62.98
3.		2204 ए.2(4)(1)-बकाया स्विलाड़ी/स्पोर्ट्समैन तथा राजीव गाँधी स्पोर्ट्स अवार्ड योजना को नकद प्रोत्साहन	5.76	4.56	3.23	70.83	3.04	66.67
4.		2202 ए.1(4)(5)(2)- शिक्षा अधिनियम अधिकार (एस.सी.एस.पी.) - योजना	4.50	2.92	2.37	81.16	2.37	81.16
5.		2203 बी.1(5)(19)(1)- स.अ. सामान्य - योजना	6.00	6.00	5.50	91.67	5.50	91.67
6.		2203 बी.1(5)(19)(2)- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान - योजना	6.00	6.00	4.00	66.67	4.00	66.67
7.		2203 बी.1(5)(19)(3)- स.अ.- वेतन-योजना	8.00	8.00	5.50	68.75	5.50	68.75
8.		07 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210 ए.1(4)(1)(9)- पेंशन भोगियों को दिल्ली सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सुविधाएँ -गैर-योजना	57.00	56.98	17.08	29.98	17.04
9.	2210 ए.1(1)(4)(10)(1)- स.अ.- सामान्य-योजना		33.50	33.50	33.50	100.00	33.50	100.00
10.	2210		5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00

		ए.1(1)(4)(10)(2) - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान - योजना						
11.	08 समाज कल्याण	2235 ए.2(1)(8)(1)- वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (बुजुर्गों की सहायता का विस्तार)- योजना (एस.सी.एस.पी.)	49.00	49.00	49.00	100.00	49.00	100.00
12.		2235 ए.2(1)(3)(10)- वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (बुजुर्गों की सहायता का विस्तार)- योजना	492.00	487.15	428.89	88.04	223.14	45.81
13.		2235 बी.2(1)(3)(20)- विधवाओं को पेंशन- योजना	212.52	211.45	211.45	100.00	211.45	100.00
14.		2235 बी.2(1)(7)(2)- विधवाओं को पेंशन (एस.सी.एस.पी.)-योजना	16.68	16.68	16.68	100.00	16.68	100.00
15.	10 विकास	4059 ईई.2(1)(1)(1)- उप-आयुक्त कार्यालय- योजना	55.00	39.96	21.61	54.08	21.04	52.65
16.	11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	6801 ईई.1(3)(3)(1)- प्रगति पावर परियोजना 111 बवाना-योजना को ऋण	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
17.		6801 ईई.1(5)(2)-दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को ऋण	202.00	202.00	202.00	100.00	102.00	50.50
18.		4801 ईई. 2(1)(2)(1)- भूमि का क्रय	21.34	21.34	20.17	94.52	20.17	94.52
कुल			1317.3	1285.97	1105.02		795.38	

परिशिष्ट 2.11
पूँजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की सारणी
(पैराग्राफ 2.5 (ख) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान/विनियोग की सं तथा नाम	अनुदानों के लिए दी गई मांग में मूल अनुदान/विनियोग (डी.डी.जी.)	वास्तविक व्यय
	अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासन		
1	2052 सी.1 (1) (9) (3)-मोटर वाहन (2052 00 090 19 00 51)	0.01	0.00
	अनुदान सं. 4 - वित्त		
2	2039 ई.1 (3) (1) (8)- मोटर वाहन (2039 00 104 99 00 51)	0.05	0.00
	अनुदान सं. 5 - गृह		
3	2056 ए.1 (1) (1) (8)- मोटर वाहन (2056 00 001 99 00 51)	1.00	0.16
4	2070 सी.1 (1) (2) (9)- मोटर वाहन (2070 00 108 99 00 51)	3.50	3.50
5	2055 डी.1 (1) (1) (7)- मोटर वाहन (2055 00 116 99 00 51)	0.07	0.03
	अनुदान सं. 6 - शिक्षा		
6	2203 बी.1 (5) (5) (12)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 66 00 51)	0.01	0.00
7	2205 जी.1 (1) (1) (6)- मोटर वाहन (2205 00 103 99 00 51)	0.05	0.00
	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा जन स्वास्थ्य		
8	2210 बी.1 (1) (1) (1) (10)- मोटर वाहन (2210 01 110 86 00 51)	0.52	0.24
9	2210 सी.1 (1) (1) (1) (10)- मोटर वाहन (2210 01 110 87 00 51)	0.06	0.11
10	2210 एफ.1 (1) (1) (1) (6)- मोटर वाहन (2210 01 110 53 00 51)	0.06	0.07
11	2210 एच.1 (1) (1) (1) (5) (4)- मोटर वाहन (2210 05 105 99 87 51)	0.01	0.005
12	2210 आर.1 (1) (1) (1) (9) - मोटर वाहन (2210 01 110 25 00 51)	0.04	0.00
13	2210 वी.1 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 01 110 29 00 51)	0.04	0.03
14	2210 डब्ल्यू.1 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 01 110 77 00 51)	0.01	0.01
15	2210 एबी.1 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 01 789 97 00 51)	0.10	0.07
16	2210 एसी.1 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 01 110 40 00 51)	0.02	0.01
17	2210 एई.1 (1) (1) (1) (9) - मोटर वाहन (2210 01 789 95 00 51)	0.10	0.08
18	2210 एएफ.1 (1) (1) (1) (6) - मोटर वाहन (2210 01 110 79 00 51)	0.05	0.00
19	2210 एआई.1 (1) (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2210 02 102 60 99 51)	0.014	0.002
	अनुदान सं. 9 - उद्योग		
20	2230 सी.2 (1) (1) (1) (7) - मोटर वाहन (2230 01 001 99 00 51)	0.12	0.00

	अनुदान सं. 10-विकास		
21	2403 बी.3 (1) (1) (8) - मोटर वाहन (2403 00 001 99 00 51)	0.05	0.02
	कुल	5.884	4.337
	अनुदान सं. 5 - गृह		
22	2070 बी.1 (1) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण, औजार तथा संयंत्र (2070 00 106 95 00 52)	0.15	0.00
23	2070 सी.1 (1) (2) (7)- मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 108 99 00 52)	9.00	5.50
24	2055 डी.1 (1) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2055 00 116 99 00 52)	2.75	2.91
	अनुदान सं. 6 - शिक्षा		
25	2203 बी.1 (4) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 105 86 00 52)	1.90	1.96
26	2203 बी.1 (5) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 72 00 52)	0.30	0.39
27	2203 बी.1 (5) (5) (8)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 66 00 52)	2.00	0.88
28	2230 बी.2 (1) (2) (1) (9)- मशीनरी तथा उपकरण (2230 03 03 99 00 52)	3.00	0.00
29	2203 सी.1 (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 63 00 52)	6.51	5.29
30	2205 जी.1 (1) (1) (7)- मशीनरी तथा उपकरण (2205 00 103 99 00 52)	0.05	0.00
31	2205 एच.1 (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2205 00 104 98 00 52)	0.10	0.00
32	2203 आई.1 (1) (1) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 65 99 52)	2.13	0.91
33	2203 के.1 (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 64 00 52)	0.40	0.16
	अनुदान सं. 7- चिकित्सा जन स्वास्थ्य		
34	2210 बी.1 (1) (1) (1) (7)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 86 00 52)	25.00	14.47
35	2210 सी.1 (1) (1) (1) (8)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 87 00 52)	19.00	8.22
36	2210 डी.1 (1) (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 89 00 52)	1.69	0.00
37	2210 ई.1 (1) (1) (1) (6)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 91 00 52)	17.55	2.00
38	2210 एफ.1 (1) (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 53 00 52)	38.00	8.75
39	2210 जी.1 (1) (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 97 00 52)	3.80	5.17
40	2210 एच.1 (1) (1) (1) (1) (7)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 99 52)	3.50	2.06
41	2210 एच.1 (1) (1) (1) (5) (3)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 87 52)	5.00	0.85
42	2210 एल.1 (1) (1) (1) (5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 62 00 52)	7.00	1.62
43	2210 एम.1 (1) (2) (3) (7) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 63 00 52)	0.15	0.002
44	2210 एन.1 (1) (1) (1) (4) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 67 00 52)	5.00	0.46
45	2210 ओ.1 (1) (1) (1) (2) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 66 00 52)	65.00	0.87
46	2210 पी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 17 00 52)	2.67	0.56
47	2210 क्यू.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 27 00 52)	1.30	0.10

48	2210 आर.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 25 00 52)	2.86	0
49	2210 एस.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 16 00 52)	0.15	0.003
50	2210 टी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 30 00 52)	1.20	0.13
51	2210 यू.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 26 00 52)	0.39	0.007
52	2210 वी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 29 00 52)	1.74	0.41
53	2210 डब्ल्यू.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 77 00 52)	1.50	0.20
54	2210 एक्स.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 78 00 52)	2.00	0.35
55	2210 वार्ड.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 23 00 52)	0.50	0.21
56	2210 जड.1 (1) (1) (1) (8) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 85 00 52)	0.60	0.14
57	2210 एबी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 97 00 52)	2.00	1.59
58	2210 ए.,1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 40 00 52)	3.80	0.37
59	2210 एडी.1 (1) (1) (1) (4) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 96 00 52)	3.00	0.61
60	2210 एई.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 95 00 52)	1.00	0.36
61	2210 एएफ.1 (1) (1) (1) (8) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 79 00 52)	5.09	2.24
62	2210 एजी.1 (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 65 00 52)	2.00	0.28
63	2210 एच.1 (1) (1) (1) (9) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 101 71 00 52)	1.90	0.00
64	2210 एआई.1 (1) (1) (1) (1) (5) - मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 60 99 52)	0.05	0.004
	अनुदान सं. 10 - विकास		
65	2711 डी.3 (2) (1)(1) - औजार तथा संयंत्र (2711 03 052 99 00 52)	0.02	0.00
66	2070 ई.16 (1) (1)(1) (6) - मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 800 64 99 52)	2.12	0.00
	कुल	254.870	70.036
	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास लोक निर्माण		
67	2059 बी.1 (1) (2) - निर्माण (2059 80 051 00 00 53)	7.00	4.93
68	2216 बी.2 (1) (1)(1) - निर्माण (2216 01 106 98 00 53)	1.70	1.08
	कुल	8.70	6.01
	सकल कुल	269.454	80.383

परिशिष्ट 2.12

संसद/विधानसभा के पूर्व अनुमोदन के बगैर निकायों/प्राधिकरणों को सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों में वृद्धि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख अथवा अधिक)

(षेराग्राफ 2.5 (सी) को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग की सं. तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	पुनर्विनियोग	कुल अनुदान	पुनर्विनियोग के लिए कारण
	अनुदान संख्या 6- शिक्षा					
1	2202- ए. (1)(1)(1) (1)- एससीईआरटी को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	12.00	0.00	2.00	14.00	अधिक अनुदानों का द्विभाजन तथा जारी किया जाना
2	2236- ए. 4(1)(1)(6)- मिड्डे मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान	1.40	0.00	0.52	1.92	अनुदान का द्विभाजन
3	2203- बी. 1(5)(19)- महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	10.00	0.01	9.99	20.00	अनुदान का द्विभाजन
4	2205- एफ. 2(1)(2)- उर्दू अकादमी को अनुदान	6.30	0.00	0.72	7.02	अनुदान का द्विभाजन
5	2205- एफ. 2(1)(10)- राज्य समारोह संगठन के लिए साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	13.50	0.00	1.45	14.95	अनुदान का द्विभाजन
6	2205- एफ. 2(1)(20)- लाईफ टाईम अचिवमेंट के लिए साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	0.00	0.01	0.55	0.56	अनुदान का द्विभाजन
7	2202- जे. 1(1)(1)(1)- डिग्री कॉलेज को सहायता अनुदान	133.20	0.01	9.19	142.40	अनुदान का द्विभाजन
	अनुदान संख्या 7- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य					
8	2210- ए.1(1)(4)(7)-मौलाना आजाद इन्सटीटीयूट ऑफ डेन्टल साइंस को सहायता अनुदान	25.00	0.00	2.00	27.00	अनुदान का द्विभाजन
9	2210- ए.1(1)(4)(9)-दीन दयाल उपाध्याय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान	0.00	0.01	4.29	4.30	अस्पताल का अनुदान ग्राही संस्थान में परिवर्तन
10	2210- ए.1(1)(4)(10)- राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय को सहायता अनुदान	0.00	0.01	40.46	40.47	अस्पताल का अनुदान ग्राही संस्थान में परिवर्तन
11	2210- ए.1(1)(4)(11)- चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को सहायता अनुदान	0.00	0.01	5.99	6.00	अस्पताल का अनुदान ग्राही संस्थान में परिवर्तन
12	2210- ए.1(3)(3)(14)-संविदात्मक कर्मचारियों के परिश्रमिकों के लिए दिल्ली राज्य एड्स नियन्त्रण सोसायटी को सहायता अनुदान	0.00	0.01	0.59	0.60	बकार्यों के भुगतान के लिए

13	2210- एम.1(1)(1)(12)-स्नेडा डाबर पर दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान	17.00	0.01	1.99	19.00	अनुदान का द्विभाजन
	अनुदान संख्या 8- सामाजिक कल्याण					
14	2235- ई.7(2)(2)(1)-दिल्ली हज कमेटी को सहायता अनुदान	1.00	0.01	0.99	2.00	अनुदान का द्विभाजन
	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग					
15	2202- ए.4(1)(1)(1)(2)-उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	447.33	0.00	5.26	452.59	अनुदान का द्विभाजन
16	2202- ए.4(1)(1)(1)(3)-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	341.64	0.00	4.02	345.66	अनुदान का द्विभाजन
17	2202- ए.4(1)(1)(1)(4)-पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	226.30	0.00	2.66	228.96	अनुदान का द्विभाजन
18	2215- ए.6(1)(1)(1)-अनाधिकृत कॉलोनियों में पोर्टेबल जल की आपूर्ति किए जाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	80.00	0.01	49.99	130.00	अनुदान का द्विभाजन
19	2215- ए.6(1)(1)(7)-सू.त./गुणवत्ता नियन्त्रण/पर्यावरण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	8.50	0.01	20.49	29.00	अनुदान का द्विभाजन
20	2216- ए.7(1)(1)(1)-रात्रि निवास के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. (स्लम) (दि.न.नि.) को अनुदान	12.00	0.01	7.99	20.00	अनुदान का विभाजन
21	2216- ए.7(1)(1)(2)-कमजोर वर्गों (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के लिए गृहों के निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान	131.25	0.01	78.74	210.00	अनुदान का द्विभाजन
22	2216- ए.7(1)(2)(1)-कमजोर वर्गों (जे.एन.एन.यू.आर.एम) (एस.सी.एस.सी.) के गृह निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान	18.75	0.01	11.24	30.00	अनुदान का द्विभाजन
23	2217- ए.8(1)(1)(2)(1)-उत्तरी दिल्ली नगर निगम झु.झो.आ. कॉलोनियों में अतिरिक्त सुविधायों के प्रावधान के लिए अनुदान	17.00	0.01	0.99	18.00	अनुदान का द्विभाजन
24	2217- ए.8(1)(2)(3)(4)-कटरा निवासियों (एस.सी.एस.पी.) को पर्यावरणीय सुधार तथा पुनःस्थापना के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान	1.25	0.01	0.72	1.98	अनुदान का द्विभाजन

25	2217- ए.8(2)(1)(3)(1)-उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता-सेवाओं की सुदृढ़ता तथा कार्यप्रणाली के लिए अनुदान	100.00	0.01	39.99	140.00	अनुदान का द्विभाजन
26	2217- ए.8(2)(1)(3)(3)-संरक्षणता तथा स्वच्छता सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा कार्यप्रणाली के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	50.00	0.01	14.99	65.00	अनुदान का द्विभाजन
27	2217- ए.8(2)(1)(24)(1)-उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अप्राधिकृत कॉलोनियों में सफाई के लिए अनुदान	25.00	0.01	9.99	35.00	अनुदान का द्विभाजन
28	2217- ए.8(2)(1)(24)(2)-दक्षिण दिल्ली नगर निगम को अप्राधिकृत कॉलोनियों में सफाई के लिए अनुदान	30.00	0.01	19.99	50.00	अनुदान का द्विभाजन
29	2217- ए.8(2)(3)(5)- डी.यू.एस.आई.बी. को उपयोग तथा भुगतान जन सुविधा परिसरों में (एस.सी.एस.पी.) निर्माण के लिए अनुदान	0.50	0.01	14.99	15.50	अनुदान का द्विभाजन
30	2217- ए.8(2)(3)(9)-अप्राधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	15.00	0.01	14.99	30.00	अनुदान का द्विभाजन
31	3054- ए.12(1)(1)(7)-शहरी सड़को-सी.आर.एफ.स्कीम के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम सेवाओं को अनुदान	20.00	0.01	23.74	43.75	अनुदान का द्विभाजन
32	3054- ए.12(1)(1)(11)-पूर्वी दिल्ली नगर सेवाओं को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए अनुदान	10.00	0.02	9.98	20.00	योजना की अच्छी प्रगति
	कुल	1753.92	0.25	411.49	2165.66	

परिशिष्ट 3.1
निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी
(षैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र.सं.	निकायों/ प्राधिकरणों के नाम ¹	लेखों की लेखापरीक्षा का नि.म.ले.प. को सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखे जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टें (पृ.ले.प.प्र.) जारी की गईं	विधायिका में प्रस्तुत की गईं पृ.ले.प.प्र.	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब	लेखे जमा करने में विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	2004-05 से 10 वर्ष तक	2011-12	2011-12 हेतु पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	विधायिका में पेश नहीं की गईं	2012-13	1
2.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (गु.गो.सि.इं.प्र.वि.)	नि.म.ले.प. का स्पष्टीकरण देखें नि.म.ले.प. की दिनांक 15 जनवरी 2004 की पत्र सं. 14 लेखापरीक्षा-II/128- 98	2012-13	2012-13 हेतु पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.)	2007-08 से 5 वर्ष तक	2008-09	2008-09 की पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	स्थिति प्रतीक्षित	2009-10 से 2012-13	4
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	नि.म.ले.प.के कार्यालय का स्पष्टीकरण देखें नि.म.ले.प. की दिनांक 16 दिसंबर 2003 की पत्र सं. 497 रिप(सी.) 88-2000	2007-08	2007-08 का पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	स्थिति प्रतीक्षित	2008-09 से 2012-13	5
5.	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड	संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बोर्ड को गठित एवं अधिसूचित किया गया था	2011-12	2011-12 का पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	स्थिति प्रतीक्षित	2012-13	1
6.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./अल्पसंख्यक विकलांग वित्तीय विकास निगम लि.	अधिनियम 19(3) के अंतर्गत सौंपा	2003-04	2003-04 की पृ.ले.प.प्र. 2013-14 में जारी	-	2004-05 से 2012-13	9
7.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (दि.वि.से.प्रा.)	स्थापना से	2012-13	2012-13	स्थिति प्रतीक्षित	-	-
8.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (दि.वि.नि.प्रा.)	स्थापना से	2012-13	2012-13	2012-13	-	-
9.	इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान - दिल्ली (आईआईआईटी-डी)	आईआईआईटी-डी अधिनियम के अनुसार सुपुर्दगी	2012-13	प्रक्रिया चल रही है	स्थिति प्रतीक्षित	-	-

¹ दिल्ली की विद्युत शक्ति वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम)-बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल) तथा टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), जिनकी लेखापरीक्षा जनवरी 2014 में नि.म.ले.प. (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 20 के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा जनवरी 2014 में सौंपी गयी। डिस्कॉम की लेखापरीक्षा चल रही है (फरवरी 2015)।